



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12018 निगरानी R-2003-II/14

श्री. बहादुर पुष सिंह, पुत्र
द्वारा आज दि. 3-7-14 को
प्रस्तुत

कलक ऑफिस को
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

22/7/14
21/6/14

वंश बहादुर पुष सिंह पुत्र स्व० श्री गंगासिंह
चाँहान, निवासी उच्च कोदिया, तहसील-
गाँपद कास जिला सीधी-मध्यप्रदेश ।

----- प्राथी

बिराह

मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्राथी

निगरानी बिराह आदेश ए स०डी०ओ० महोदय मफोली जिला सीधी
दिनांकी 30-4-14 अन्तर्गत धारा 40-मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1954
प्र०क्र० द।अ-67/13-14 ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, ए स०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।
- 2- यह कि, ए स०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।
- 3- यह कि, प्राथीने अधीनस्थ न्यायालय में मू. वित्तानी जो रीवा में पदस्थ हैं, से स्थल जांच कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में जो कारण व्यक्त किये हैं उन पर कोई क्वार ए स०डी०ओ० महोदय द्वारा नहीं किया गया है, उन्होने सरसरी तौर पर आवेदन पत्र को निरस्त किया है जो न्यायोचित नहीं है ।
- 4- यह कि, संयुक्त दल द्वारा जांच होने से, मू-वित्तानी से जांच की मांग को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित नहीं है ।
- 5- यह कि, प्राथी द्वारा राजस्व निरीक्षण एवं मू-वित्तानी के कानून

55

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक 2/2003/D/11

वैश्वेन्द्र/म.प्र.शालिन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री ए.ए. हे. डावत-अधीवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मझौली के प्रकरण क्रमांक 06/35-67/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30/5/14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सी.ए. के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सी.ए. के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सदस्य</p>	